सं0- 3/14/93-स्थापना (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2-5-, 1994

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 31.7.86 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/85-स्था0 (वेतन-II) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने दिनांक 31.7.86 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4(ख) (iii) के दूसरे वाक्य में संशोधन करने का निर्णय लिया है जो निम्न प्रकार से है:-

विद्यमान वाक्य	संशोधित वाक्य
यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा कोई स्तर नहीं है तो वेतन उस वेतन के नीचे के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।	यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा कोई स्तर नहीं है तो वेतन उस वेतन के ठीक ऊपर के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

पैरा के अन्य उपबन्ध अप्रभावी रहेंगे ।

2. यह संशोधन जारी होने की तारीख से लागू होगा ।

रेवती अय्यर
(रेवती अय्यर)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।